Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt e. V.

HI

भाषा अनुवादक संबंधित लागत का भुगतान

"भाषा अनुवादक" का उपयोग यहाँ पर अनुवाद (लिखित), भाषान्तर सेवाओं और भाषा अनुवाद के संबंध में किया गया है।

अनुवाद: यह किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में लिखित अनुवाद है।

दोभाषिक सेवाएं: यह आमतौर पेशेवर अनुवादक द्वारा जुबानी (आमने-सामने) अनुवाद है।

भाषा अनुवादक: यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जुबानी बोल कर अनुवाद है जो दोनों पार्टियों की भाषाओं को समझता और बोलता है लेकिन उसे पेशेवर योग्यता प्राप्त नहीं है।

भाषा अनुवादक की लागत का भुगतान विभिन्न प्रकार से किया जाता है। यह भुगतान आदान-प्रदान के मौके पर भी निर्भर करता है।

भाषा अनुवादक की कब आवश्यक होती है?

1. किसी सम्बन्धित दफ्तर के साथ वार्तालाप करने के लिए
2. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए
3. कानूनी विवादों के निपटारे

के लिए सामान्य नोट: यदि आपके पास कोई सवाल हैं या आप को किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, तो आप एक सलाह केंद्र या अपने वकील से संपर्क करें।

1. एक सम्बन्धित दफ्तर के साथ वार्तालाप के लिए भाषा अनुवादक

यदि सम्बन्धित दफ्तर आपसे कुछ मांगता है और किसी के मदद के बिना वार्तालाप संभव नहीं है, तो सम्बन्धित दफ्तर को भाषा अनुवादक का प्रबन्ध करना चाहिए और लागत की पूर्ति करनी चाहिए। यदि सम्बन्धित दफ्तर आपके के साथ बातचीत का प्रबन्ध नहीं करता है, तो यह आमतौर पर अवैध है। आपको अपने लिए स्वयं भाषा अनुवादक का प्रबन्ध करने के लिए उनका कहना गैरकानूनी है।

यदि आप सम्बन्धित दफ्तर से कुछ चाहते हैं, तो कानून कहता है कि आप को बातचीत करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि आपको भाषा अनुवादक का प्रबंधन स्वयं करना होगा और इन सेवाओं की लागत को खुद चुकाना होगा।

प्राथमिक देखभाल जैसे कि आवास, भोजन और स्वास्थ्य संबंधित कामों के लिए भाषा अनुवादक प्रदान करने के लिए सम्बन्धित दफ्तर जुमेवार है । यह तब लागू होता है जब आप भाषा अनुवादक के बिना सेवा प्राप्त नहीं सकते।

हालाँकि, जहाँ तक हो सके आप खुद कोशिश करें , उदाहरण के तौर पर अपनी भाषा में सूचना-पत्र पढ़ने के लिए या यदि संभव हो तो अपने साथ किसी बहुभाषी व्यक्ति को साथ लाने के लिए। यदि यह संभव नहीं है, तो सम्बन्धित दफ्तर भाषा अनुवादक का प्रबन्ध करने के लिए जुमेवार है। सम्बन्धित दफ्तर आपसे इसकी लागत वसूल सकता है सम्बन्धित दफ्तर आपकी लागत को कम से कम रखने का प्रयास करना चाहिए। इस परस्थिति में आप को सम्बन्धित दफ्तर को पहले से सूचित करना होगा कि आप लागत का भुगतान करेंगे।

गैर-जर्मन भाषाओं वाले दस्तावेजों को सम्बन्धित दफ्तर द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि दस्तावेजों का अनुरोध किया गया है या फिर ये दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं, तो सम्बन्धित दफ्तर को यह देखना होगा कि सम्बन्धित दफ्तर का ही कोई व्यक्ति इसे समझने में सक्षम है कि नहीं ।

टिप्पणी :दुर्भाग्यवश आपके लिए पहले से यह जाँचना मुमकिन नहीं है, लेकिन कभी-कभी विशिष्ट स्थिति से यह ज्ञात होता है कि एक भाषा (जैसे अंग्रेजी) बोली/समझी जाती है या कोई कर्मचारी किसी अन्य भाषा में मदद कर सकता है। इस परस्थिति में अपनी लागत के मुआवज़े की माँग करना अवैध होता है।

यदि सम्बन्धित दफ्तर में कोई भी आपकी भाषा नहीं समझता है, तो आप खुद अनुवाद के आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं। यदि आप अनुवाद का आयोजन करने में असफल होते हैं, तो सम्बन्धित दफ्तर आपके लिए अनुवाद का आयोजन कर सकता है। इस स्तिथि में

संबंधित खर्च का भुगतान आपको खुद करना होगा।

भाषा अनुवादक के लिए शुल्क लिया जाएगा या नहीं, यह शुल्क कानून के पर निर्भर करता है। सामान्य रूप में: यदि भाषा अनुवादक के बिना संचार संभव नहीं है (उदाहरण के तौर पर हाल ही में जर्मनी आए हुए शरणार्थियों के साथ संचार), तो शुल्क नहीं लिए जाने की संभावना ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर यह अज़्यूल-गेसेट्ज़ (AsylG) या अज़्युल्बेवेर्बरलाइस्टुंग्स-गेसेट्ज़ (AsylbLG) के तहत शरणार्थियों की प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

अक्सर सख्त कानूनों से संबंधित मामले ही शामिल होने और सामाजिक कठिनाइयों से बचने के लिए" आपकी लागत की भरपाई की जा सकती है। जीविका संबंधी मामलों में यह लागू हो सकता है।

लागत सम्बन्धित दफ्तर द्वारा तैय की जाएगी या आपको इसका भुगतान करना होगा - इस बारे में फ़ैसले को "फेर्वाल्टुंगसाक्ट" (प्रशासनिक अधिनियम) कहा जाता है। सम्बन्धित दफ्तर को आपको लिखित रूप में बताना होगा कि आपको कितनी राशि का भुगतान करना होगा। इस पत्र को "कोस्टेन-बेशाइड" (लागत अधिसूचना) कहा जाता है।

सम्बन्धित दफ्तर के इस फ़ैसले के खिलाफ आप अपना बचाव कर सकते हैं। आपको लागत अधिसूचना की हमेशा जांच करनी चाहिए। यदि भाषा अनुवादक की लागत आवश्यक नहीं थी या सम्बन्धित दफ्तर ने गैरकानूनी तरीके से काम किया, तो आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तिथि में आपको इस फ़ैसले के खिलाफ आपत्ति दिर्ज करनी चाहिए।

आप क्या कर सकते हैं?

1. क्या आपको भाषा अनुवादक की आवश्यकता है, इस बात को जांचें। यदि आपजी जर्मन भाषा गलबात करने के लिए काफी है और आप जर्मन में अपने लिए महत्वपूर्ण हर चीज की व्याख्या कर सकते हैं, तो भाषा अनुवादक की लागत की भरपूर्ति सिम्बन्धित दफ्तर द्वारा नहीं की जाएगी।
2. यदि आवेदन पत्र या सूचना पत्र अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप समझ सकते हैं, तो सम्बन्धित दफ्तर को आपको सूचित करना चाहिए।
3. यदि आपको बातचीत के लिए सहायता की आवश्यकता है: आप सम्बन्धित दफ्तर में मिथी तारीख को भाषा अनुवाद के लिए एक व्यक्ति को ला सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है, तो आपको इस तारीख से पहले सम्बन्धित दफ्तर को सूचित करना चाहिए। इसके लिए आपको एक लिखित आवेदन जमा करना पड़ सकता है।
4. सम्बन्धित दफ्तर को यह जांचना होगा कि क्या मुफ्त में भाषा अनुवादक उपलब्ध है। सम्बन्धित दफ्तर को यह भी पता करना चाहिए कि क्या सम्बन्धित दफ्तर के किसी कर्मचारी द्वारा भाषा की अनुवाद संभव है।
5. यदि आप को भाषा अनुवादक के साथ समस्याएं हैं या फिर आप इसमें गंभीर ग़लतियाँ पाते हैं, तो कृपया खुल के बोलें। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो काग़ज़ पर अपने अनुभव को लिख कर रखें। यदि आवश्यक हो, तो किसी परामर्श केंद्र या अपने वकील से बात करें।
6. यदि सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आपको भाषा अनुवादक की लागत का भुगतान करना होगा, तो सम्बन्धित दफ्तर आपको एक लागत पत्र (कोस्टेन-बेशाइड) भेजना होगा। आपको इस फ़ैसले को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि सिम्बन्धित दफ्तर ने अपने फ़ैसले के सहयोग में तर्क पेश किए हैं और सम्बन्धित दफ्तर ने अन्य नियिमों (जैसे एक संभावित छूट) की जांच की है। यदि फ़ैसला गलत है, तो कृपया लिखित आपत्ति दिर्ज करें।

यदि आपके पास इस बारे में और सवाल हैं, तो किसी परामर्श केंद्र या अपने वकील से बात करें।

विशेष लागत नियम:

- आधिकारिक शरण आवेदन की प्रक्रिया के दौरान, भाषा अनुवादक की लागत प्राधिकरण द्वारा भुगताई की जाती है: यह शरणार्थी कानूनी नियम (AsylG) के अनुच्छेद §17 में कहा गया है "अनुवादकों पर सम्बन्धित दफ्तर के व्यय पर परामर्श"।
- बाल और युवा-कल्याण के मामले में, युवा कल्याण विभाग भाषा अनुवादक की लागत उठाता है: सामाजिक कोड बुक आठ (SGB VIII) के अनुच्छेद §89 डी के अनुसार।
- अभिभावक या पर्यवेक्षक के मौजूद होने पर , वह भाषा अनुवादक की लागत के लिए जिम्मेदार हैं। अभिभावक और पर्यवेक्षक मुआवजा अधिनियम

(VBVG) की धारा 4,5 के अनुसार पर्यवेक्षक के लिए यह व्यय "फ़ेरग्यूटुंग्स-पाऊशाले" (फ्लैट-रेट भत्ता) में शामिल हैं।

2. चिकित्सा संबंधी सेवाओं के उपयोग के लिए भाषा अनुवादक

भाषा अनुवादक के अन्य खर्चे भी हैं जिनका सम्बन्धित दफ्तर के साथ कोई लेना-देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल जाने पर भाषा अनुवाद पर होने वाले यह खर्चे हो सकते हैं।

सामान्य नियम:

भाषा अनुवादक की लागत का भुगतान स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से संभव नहीं है। यदि आप किसी अस्पताल में हैं, तो क्लिनिक आपसे मरीज के रूप में संवाद करने के लिए खुद जिम्मेदार है। क्लिनिक आपको उपचार के बारे में सूचित करने के लिए जुमेवार है ताकि आप यह तय कर सकें कि उपचार किया जाना चाहिए या नहीं। यदि वार्तालाप के लिए कोई अन्य तरीका संभव नहीं है, तो क्लिनिक को भाषा अनुवादक की लागत का भुगतान करना होता है। यदि कर्मचारी या रिश्तेदार भाषा अनुवाद कर सकते हैं, तो वार्तालाप संभव माना जाएगी।

सामाजिक कोड 12 (SGB XII) के अनुसार शरणार्थी कानून मुताबिक (AsylbLG) / सुविधायें:

यदि आप AsylbLG के तहत सुविधा प्राप्त करते हैं, तो आप स्वास्थ्य सुविधा और उससे संबंधित आवश्यक भाषा अनुवादक की लागत के लिए जिम्मेदार सम्बन्धित दफ्तर से आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप 18 महीने से कम समय से जर्मनी में हैं, तो आपकी चिकित्सा देखभाल संबंधित सुविधा सीमित है। मूल रूप से, आप केवल गंभीर बीमारियों और दर्द के लिए आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करते हैं और साथ ही बीमारियों से उबार, सुधार या राहत संबंधित "अन्य सेवायें" (AsylbLG की धारा 4 (1) वाक्य 1)। यदि आपके पास इन सेवाओं का अधिकार है और यह केवल भाषा अनुवादक के साथ संभव है, तो सम्बन्धित दफ्तर को भाषा अनुवादक की लागत का भी भुगतान करना होगा। लागत का भुगतान मानव तस्करी के पीड़ितों, मानसिक विकारों से ग्रसित लोगों और उन लोगों के इलाज के लिए भी किया जाना चाहिए जिन्हें यातना, बलात्कार या अन्य गंभीर रूपों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है।

अगर आप 18 महीने से अधिक समय से जर्मनी में हैं, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होगा और इसकी वजह से आप बिना अग्रिम आवेदन के स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको इन सेवाओं के लिए भाषा अनुवादक की आवश्यकता है, तो आपको इसके लिए सम्बन्धित दफ्तर में आवेदन जमा करना होगा। जिम्मेदार प्राधिकरण वह है जिस से आप AsylbLG के तहत सुविधा प्राप्त करते हैं। सम्बन्धित दफ्तर में भाषा अनुवादक की लागत की भरपाई § 73 SGB XII के अनुसार करनी है, यदि उपचार बिल्कुल आवश्यक है और केवल भाषा अनुवादक के माध्यम से संभव है। मानव तस्करी के पीड़ितों, मानसिक विकारों से ग्रसित लोगों और उन लोगों के इलाज के लिए जो यातना, बलात्कार, या अन्य गंभीर रूपों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या यौन हिंसा, प्राधिकरण को लागत का भुगतान करना होगा।

यदि आप जॉब सेंटर (नौकरी केंद्र) से सेवाएँ प्राप्त करते हैं:

व्यक्तिगत मामलों में जॉब सेंटर (नौकरी केंद्र) भाषा अनुवादक की लागत को मंजूरी दे सकता है। इसका मतलब "अतिरिक्त आवश्यकताएं" है। एक अतिरिक्त आवश्यकता को मान्यता तब दी जाती है जब आपको लंबी अवधि के लिए तत्काल आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर यह दीर्घकालीन मनोचिकित्सा के लिए भाषा अनुवादक की लागत हो सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य क्षेत्र में भाषा अनुवादक के लिए एक बार होने वाले खर्चे को अतिरिक्त आवश्यकताओं में शामिल नहीं किया गया है ।

यदि आप स्वयं भाषा अनुवादक का आयोजन करते हैं, तो आमतौर पर सम्बंधित लागत का भुगतान भी आप स्वयं करेंगे।

3. कानूनी विवादों में भाषा अनुवादक

यहां पर विभिन्न परिस्थितियाँ के रूप हैं:

प्रशासनिक कानून में वकीलों के लिए खर्च

सम्बन्धित दफ्तर वकीलों पर हुए खर्च का भुगतान कर सकता है: आपने किसी सम्बन्धित दफ्तर में एक आवेदन पत्र जमा किया है और वह आवेदन पत्र अस्वी-

कृत हो गया है। आप एक वकील की सेवाएं लेकर सम्बन्धित दफ्तर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। अगर अदालत में यह अपील या आगामी मुकदमा सफल होता है तो तब वकील का खर्च सम्बन्धित दफ्तर द्वारा भुगतान किया जाता है। यदि अदालत में अपील या आगामी मुकदमा असफल होता है, तो आपको वकील के खर्चे का भुगतान खुद करना होगा। सलाह और कानूनी सहायता सम्बन्धी मामले अपवादित हैं।
केवल आवश्यक मामलों की लागत का भुगतान किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हर छोटे अंश की भाषा अनुवादक के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं है। पूरी जानकारी के लिए अपने वकील के साथ बात करें।

अदालत में

अदालत को हमेशा यह सुनिश्चित करना होता है कि आप बातचीत करने में सक्षम हैं। इसके लिए न्यायालय को एक उपयुक्त भाषा अनुवादक का आयोजन करना होता है। अदालत आपराधिक कार्यवाही में लागत का भुगतान करती है। अन्य सभी कार्यवाहियों में आमतौर पर लागत का भुगतान हारने वाले पक्ष को करना पड़ता है। इसमें **अदालत की कार्यवाही की लागत**, **अपने** और **विरोधी वकीलों** के खर्च शामिल हो सकते हैं।

अदालत की लागत के मामले के फैसले भिन्न हो सकते है। कुछ मामलों में **अदालत की कोई लागत नहीं** होती है। यह **प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष शरण-संबंधी क़ानूनी कार्यवाही** और **सामाजिक न्यायालय** के समक्ष अधिकांश मामलों में लागू होता है। ऐसे में अदालत में मुकदमा हारने पर आपको "केवल" अपने वकील के खर्च का भुगतान करना होता है।

यदि **कानूनी प्रक्रिया के लिए आर्थिक सहायता** की अनुमति है, तो कोई लागत नहीं होती है।

साधारण कानून तहत (लागत भुगतान नहीं)
यदि आप किसी अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन के साथ बातचीत करना चाहते हैं और आपको भाषा अनुवादक की आवश्यकता है, तो आप आमतौर पर इसके के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। सिवाय इसके कि आपने कोई अन्य समझौता (जैसे कोई अनुबंध या प्रस्ताव) किया है। अदालत की तारीख़ से पहले यह पता करना जरूरी होता है कि क्या दूसरा व्यक्ति या संगठन भाषा अनुवादक में आपकी मदद कर सकते हैं। यह वकील के साथ भाषा अनुवादक पर भी लागू होता है। आप तारीख़ तय करते समय भाषा अनुवादक के लिए पूछ सकते हैं।

आपराधिक कानून तहत (लागत का भुगतान)
यदि कोई सरकारी संस्था (जैसे पुलिस) किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करती है, तो उस सरकारी संस्था को उपयुक्त बातचीत करने का आयोजन सुनिश्चित करना होता है सरकारी संस्था को तब भाषा अनुवादक का आयोजन और भुगतान भी करना होता है। यह पुलिस द्वारा आपसे संदिग्ध व्यक्ति या गवाह के रूप में की गयी पूछताछ पर लागू होता है।

यदि भाषा अनुवादक को अस्वीकृत कर दिया जाता है: इस बात पर जोर दें कि लिखित रूप में आवेदन पत्र दर्ज कराए कि आप अनुवादक चाहते हैं और इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। इस मामले में अपने वकील या सलाह केंद्र से बात करें।

यदि आपके पास कोई सवाल हैं या आपको किसी मदद की ज़रूरत है, तो आप एक सलाह केंद्र या अपने वकील से संपर्क करें।

सम्बन्धित दफ्तर के साथ बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर "सम्बन्धित दफ्तर के साथ संचार" नामक सूचना पत्र देखें: https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/eigene-publikationen/

Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt e. V.

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
»Landesinfostelle Flucht und Asyl«

Schellingstr. 3-4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 50549613
Mail: info@fluechtlingsrat-lsa.de
www.fluechtlingsrat-lsa.de

Das Projekt „Landesinfostelle Flucht und Asyl" wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert und gefördert durch:

EUROPÄISCHE UNION · Europa fördert – Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds · SACHSEN-ANHALT #moderndenken · PRO ASYL – DER EINZELFALL ZÄHLT. · UNO Flüchtlingshilfe – Deutschland für den UNHCR